Joint Committee of the Houses on the Constitution (Thirty-second Amendment) Bill, 1973:—

MOTION

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next Monsoon Session (1975), the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 3 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past three of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

RESOLUTION REGARDING AMELIORATING THE CONDITIONS OF LANDLESS LABOUR AND THE RURAL POOR

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yogendra Makwana.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, we are very agitated.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't get agitated.

SHRI BHUPESH GUPTA: We read a report that the palaces of the Maharani of Jaipur have been searched and ten crores of rupees worth of jewellery and money have been recovered. We would like to know what the position is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a procedure for that. Yes, Mr. Makwana.

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat): Sir, I beg to move:

This House is of opinion that for ameliorating the conditions of landless labour and the rural poor, it is necessary that—

(i) effective steps are taken to settle them on land in sustained and gainful occupations;

(ii) legislation is undertaken for fixation of minimum wages for agricultural labour and to prevent their exploitation by the landlords, money-lenders and other unscrupulous elements;

(iii) house sites and other amenities are provided for securing better standards of living for them;

(iv) immediate steps are taken for the distribution of surplus land among the landless in area where such steps have not so far been taken; and

(v) such other measures are taken as may be conducive to the well-being and improved standards of life of the millions of people living in our villages.

Sir, 80 per cent of this country's population lives in villages and a majority of them are landless labourers and marginal farmers. Out of this 80 per cent, that is, 45 crores of rural population, more than 20 crores are landless labourers. They live below the poverty line. Really speaking, there is no legal provision for their well-being and welfare. The urban labour is less than four crores and the Government has taken many steps and measures for their well-being and upliftment.

Sir, would like to narrate some of the measures taken by the Government for the welfare of the urban labour. There is an act governing industrial relations and disputes. There are workers committees, joint management councils, National Commission on Labour, etc. The Government has also taken many steps for

[Shri Yogendra Mokwana]

social security like the Employees' State Insurance Scheme, Employees' Provident Fund, Debt Relief Fund, Family Pension, Maternity benefits, etc. For this industrial and urban labour. There is also the Central Board of Workers' Education, the objective of which is to create a well-informed and responsile labour force, capable of organising and running trade unions on a sound basis. All these measures are taken for the benefit of the industrial labour, mine labour and dock workers. But what about the landless labour and the agricultural labour which consist of a formidable portion of the labour force of the country? Do they not contribute anything for the development of this nation? If 'yes', then, why are they neglected? It is only because they are not vocal, because there is nobody to speak on their behalf and because there are no trade unions for them. The trade unions of the urban labour exploit the industry. They get the benefits. But they do not fulfil their obligations. With less and less work, they get more and more benefits in cash and in kind whereas there is no provision for the landless labour and the agricultural labour. Millions of them die without food. The Government should make statutory provisions for security of living wage and suitable working conditions for the agricultural labour. Sir, majority of this landless labour and the agricultural labour is heavily burdened by debt. The money-lenders suck their blood and exploit them. The crushing burden of debt on them should be removed. Special tribunals should be appointed to enquire into this and all debts which are beyond the capacity of the peasants to pay should be liquidated. Meanwhile, a moratorium should be declared, and steps should be taken to provide cheap credit facilities. Sir, for this, the co-operative movement in various parts of the country has done something good. But that requires to be augmented and increased on a large scale.

Sir, many of these landless labourers and agricultural labourers suffer only because there is no land for them. For their benefit, some State Governments enacted tenancy laws but they were not implemented. The greatest hardship which they suffer from is that they are landless. The land which was to be given to them by way of surplus has to be obtained by the enactment of tenancy laws. It was not given to them. The vested interests in the rural parts of the country evaded the provisions of the tenancy law. Therefore, Sir, fixity of tenure with heritable rights along with a right to build houses and plant trees should be provided for all tenants throughout the country. Unless this is done, I don't think the condition of the rural labour can be improved. Not only this. Sir, there is a section of the rulal population, so to say, the landlords or rich peasantry. There should be an income tax on their income.

Sir, unless their income is taxed and sealed as it is done in the urban parts, they are going to exploit these rural people. So, there should be income-tax levied on them and this tax yield should be used for the well-being and welfare of these landless laboures.

Now, Sir, as I previously stated, the co-operative movement is, so to say, a movement, which can help these rural labourers. For this purpose, the rate of co-operative farming and collective farming can be stepped up in this country. So far as I know, the system of co-operative farming is prevalent only in some parts, rather a negligible portion. in the Gujarat State. I do not know the position prevailing in the rest of the country. But, so far as my State is concerned, there are some societies formed on a co-operative basis for the benefit of agricultural laboures and they are mostly composed of landless labourers and they get Government wasteland from the Government. Now, this land which is provided by the Gov-

ment is not fertile. If they develop this land, the vested class of the society snatches away this land. The result is that there were some attacks on Harijans in different parts of the country. A majority of attacks on Harijans are only because of land disputes the disputes are for the land which is given by the Government to them for their well-being.

Now, Sir, unless there is a law and legal provisions are made for this co-operative farming and collective farming, the present position is not going to help them because the rich peasantary is going to attack them. So, if legal provisions are made to defend these poor landless labourers who are Harijans, Kshatriyas or belong to other communities or are Muslim, and if they are organised and given this land on a collective and co-operative farming basis, they will be able to meet the attacks made on them by caste Hindus. So, co-operative farming is one of the measures which the Government can introduce for the well-being of these people.

Sir, the Congress party is comitted to give house sites to the rural poor. The Governmnet have framed the policy to give house sites to those who have no houses in the rural parts. At the Narora Camp held recently, one of the programmes of the Congress Party is to give house sites to rural. poor. Sir, I demand from the Government that they must make adequate provision in the Budget to give house sites to rural poor. A negligible portion of the Budget is at present earmarked for allotting house sites to poor people. This is not sufficient. I want a specific assurance from the Government on this issue because the Government is committed on this issue.

Sir, not only the problem of allotment of house sites to rural poor is being handled by some State Government with some indifference but there are also cases where these house sites after allotment are being snatched away by vested interests. At present a large portion of the land is in the hands of panchayats. Now as, we all know, panchayats are dominated by people who are not willing to part with the land in favour of these people. And, even if the land is to be given, they will give land at such a place which is quite far from the villages and where the people will not be able to build their houses.

Sir, therfore I demand here that the Government should give a specific assurance that within a stipulated period, say a year or so, they will provide house sites to all the rural poor in the country. Sir, this thing can be achieved only if there are good trade unions and if the labour is organised in unions. For this, the Government should organise. All India Khet Mazdoor Parishad at Centre and at State levels. The Government should make such agencies for the landless labourers and for the rural poor. If the Government take suitable measures and if they organise these people, then alon it is possible for them to demand their right. And for that there should be a law to register the trade unions and to provide them all the facilities which at present are available to the industrial and urban labour. Sir, unless this is done, I do not think the position of the rural labour can be improved.

The land ceilling laws are passed in various States and the Government has given surplus land to the labourers, but the interested parties have obtained stays from various High Courts. A Constitutional provision is made by an amendment to ban this stay from the High Courts, but the implementation is not done. Even in my State, the land ceiling law was passed by the then oza Ministry, but it has not been implemented. Sir, unless these land ceilling laws are implemented in full spirit and the surplus land is distributed, it will not help the poor people of the rural part. For that, the distributing agency also should not be from the Government. As far as my experience goes, and as

[Shri Yogendra Makwana].

far as I know, the distribution which is done by the Government officials is not satisfactory because they are under the thumb of the rich peasantry in the village parts. So the people who are the real sufferers should be taken in these agencies, and if distribution work should be handled by them, then alone it can be possible to give them the land which is surplus and which is obtained through the ceiling laws.

Sir, in tribal areas, survey settlement has not been done in most of the tribal belt. So far as Gujarat is concerned, there is land revenue code and by that it is prevented to transfer the land. I do not know about the rest of the part of the country. But there is a provision in different States about the transfer of the tribal people's land and there is a restriction on the sale and purchase of such land. Now, the Maharashtra Government has recently enacted a law and they have made a provision in that law banning the sale and purchase of this land, and for that which has already been sold, there is a provision to restore it back. Now, Sir, unless such laws are enacted throughout the country and unless the people who are purchasing the land from the tribal people are restricted, are prevented, the condition of the rural people will not be improved. Therefore, Sir, I demand from the Government that suitable measures should be taken at all levels by the Central and the State Governments. Of course, this is a State subject, but the Central Government can give a directive to the State Governments and request them to enact progressive legislation in favour of the agricultural labourers.

Sir, as I previously pointed out, the progressive land legislations are always challenged in a court of law and the courts always give them the stay. They also sometimes declare the legislation as illegal. Sir, there should be a constitutional amendment to prevent the jurisdiction of the civil courts challenging the progressive legislations on land. Unless there is a provision to prevent the jurisdiction of the civil courts over these different progressive land legislations, it will not be possible to bring about those legislation. Therefore, I demand from the Government and seek an assurance that it would take adequate measures and legislations would be enacted in order to provide house sites to the landless labourers. Land ceiling Act should be enacted in different States and surplus lands should be distributed to the poor and rural debts should be written off.

With these words, I move this Resolution. Thank you.

The Question was proposed.

SHRI BHOLA PRASAD: Sir, I beg to move:

"1. That in the Resolution—

(1) *after* sub-para (iv), the following para be *inserted*:

'(v) suitable legislation is passed in all States to cancel the outstanding debts of the landless labourers and the rural poor, and special credit cooperatives are set up to provide an alternative source of credit for them.

(ii) re-number the existing para (v) as para (vi)."

SHRI N. G. GORAY: Sir, I beg to move:

"2. That in the Resolution—

(i) *after* sub-para (iv), the following para be *inserted*:

'(v) guarantee of employment on daily wages be given to all the unemployed in the rural areas as it has been done in the State of Maharastra, and machinery for its implementation be set up forwith.'

(ii) re-number the existing para (v) as para (vi)."

The questions were proposed

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उप-सभापति महोदय खेत मजदूर और गरीब किसानों की हमारे देश में 70 प्रतिशत आबादी है और हमारे देश मे जो राष्ट्रीय उत्पादन होता है उसका 50 प्रतिशत जो कृषि से पैदा होता है उसको पैदा करने में हमारे देश के खेत मजदूर और गरीब किसान बहुत कड़ी मेहमत करते हैं। खेत मजदूर और गरीब किसान, मैं उनको कहता हूं जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है, लेकिन उस जमीन से उनकी जीविका नही चलती है और उसको अपनी जीविकोपार्जन के लिए श्रम बेचकर मजदूरी पर निर्भर करना पड़ता है। उनकी हालत जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा है हमारे देश में दरिद्रता का जो स्तर है उससे नीचे है। हमारे देश में सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर और राजनैतिक तौर पर सबसे ज्यादा जो पीड़ित हिस्सा है वह इन खेत मजदूरों और किसानों का है। हमारे देश को गणतंत्र घोषित किये हुए और हमारे देश के संविधान को अख्तियार किये हुए 25 साल हो गये लेकिन इसके बावजूद आज तक जो खेत मजदूर और गरीब किसानों का गांवों के अन्दर सामंतों और पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है उससे उनको छुटकारा दिलाने के लिए कुछ नही किया गया है। गांवों के अन्दर सामंती प्रथा और पूंजीवादी शोषण की जगह जन-तांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए जो भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी उस भूमि सुधार को लागू करने के लिये आज तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। केवल मात्र केरल राज्य मे बहुत हद तक इसके लिए कदम उठाये गये जिसके बारे में तफसील मे मैं बाद मे आऊंगा। देश के ज्यादातर राज्यों में यह काम अभी तक नहीं हुआ है। पहले काश्मीर में एक प्रगतिशील भूमि-सुधार कानून पास हुआ लेकिन वहां भी उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं हो सका और आज केन्द्र में या तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है और तमिलनाडु, जहां कि डी० एम० के० की हुकूमत है, वहां भी यह भूमि-सुधार की जो योजना है, उसको अब तक लागू नहीं किया जा सका है।

1971-72 के चुनाव के समय कांग्रेस की ओर से फिर से ये वायदे दुहराए गए हैं और वादे ही नही बल्कि जो कृषि संबंधी राष्ट्रीय कमीशन कायम किया गया उसकी वर्किंग ग्रुप ने एक सिद्धांत भी निर्धारित किया कि किस तरह से किसानों के हित में भूमि-सुधार कानून बनाया जाना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। खुद आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक 9 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई है, उसने भी सुझाव दिए किसानों के हित में भूमि-सुधार कानून बनाने और उसको लागू करने के लिए और यह एलान किया गया, कि जमीन की हदबंदी व्यक्ति के आधार पर नहीं परिवार के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए और 5 व्यक्ति, पति पत्नी और उसके लड़के-लड़कियों को लेकर एक औसतन परिवार मान जाएगा, उसके आधार पर जमीन की हदबंदी होगा; सिंचित जमीन जिसमें सिंचाई का इंतजाम है 15 एकड़ और असिंचित जमीन अलग अलग जमीन के हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा 54 एकड़ उससे ज्यादा हदबंदी के लिए फाजिल जमीन नही हो सकती। यह एक नीति निर्धारित की। लेकिन खेद की बात है कि 1971-72 के इस वादे को भी न केवल अमल में नहीं लाया गया, ज्यादातर राज्यों में इसके मुताबिक हदबंदी कानून में सुधार नहीं हुआ और जहां सुधार हुआ है वहां उस हद तक उसे अमल में नहीं लाया गया मसलन्, 5 आदमियों के एक परिवार को तो आधार माना गया लेकिन उसमें यह बात जोड़ दी गई कि जो बालिग लड़का होगा परिवार में उसका अलग परिवार माना जाएगा और वह संयुक्त परिवार में नहीं माना जाएगा। इस तरह

[श्री भोला प्रसाद]

से फिर उसमें एक सूराख निकाला गया जिसमें कि धनियों के पास ज्यादा जमीन छोड़ी जा सके और उसको पास रखने दिया जा सके।

SHRI G. LAKSHMANAN: On a point of clarification, does he know what is the ceiling as far as Tamil Nadu is concerned?

श्री भोला प्रसाद : मैं बता रहा हूं। उससे भी सरकारी सिंचित जमीन और निजी रूप से सिंचित जमीन में फर्क किया गया कि 1971-72 के बाद जो संशोधन हुआ है ज्यादातर राज्यों में हम उसको प्रगति की दिशा में संशोधन कह सकते हैं...

उसको हम प्रगतिशील दिशा में संशोधन कह सकते हैं। लेकिन भूमिसुधारों को अमल में लाने के लिए जो सरकारी मशीनरी है उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है क्योंकि इस सम्बन्ध में उसी को ही सब तरह का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके बारे में यह तजुर्बा है कि जब तक खुद किसान को, भूमि जोतने वाले को, जब तक वह जमीन के बंटवारे में पेशकदमी नहीं लेगा तब तक प्रगतिशील कानून तथा सुधार होने के बावजूद भी, उसको अमल में नहीं लाया जा सकता है। सिर्फ केरल में जो मौजूदा हदबंदी का कानून बनाया गया है उसमें इस तरह की गुंजाइश है। इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि किसानों का एक बोर्ड बनाया जायेगा जिसमें तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि रखें जायेंगे। उसको कानूनी अधिकार दिया गया है कि वह सरकारी अधिकारियों को और सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव दें। अगर भूमि सुधार कानून को अमल में लाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई कानून की मुखालिफत होती है तो उसमें वह हस्तक्षेप कर सकती है।

1961-62 में हदबन्दी के सम्बन्धों में जो कानून विभिन्न राज्यों में बने थे वे इस प्रकार से थे। लेकिन 1971-72 में इन कानूनों में तरमीम कर दी गई। जैसा कि बतलाया गया कि एक परिवार के लिए 15 एकड़ सिंचित जमीन थी। उसी के आधार पर कहीं 15 एकड़ रखी गई, कहीं 18 एकड़ रखी गई और कहीं पर 22 एकड़ रखी गई इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में एक परिवार के ऊपर सिंचित जमीन की हदबन्दी रखी गई। इसके मुताबिक जहां तक इस कानून को अमल में लाने का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि इस को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। मैं खुद अपने बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर 1961 में जो कानून बना था जमीन की हदबन्दी के सम्बन्ध में वह एक व्यक्ति के ऊपर 20 से 60 एकड़ तक जमीन के हिसाब से बनाया गया था। उस कानून के मुताबिक 1970 में मुश्किल से 9 हजार एकड़ जमीन निकाली जा सकी और उसमें से केवल 800 एकड़ जमीन बांटी जा सकी। 1972-73 में जो कानून बना, उसके मुताबिक जो सरकारी रिपोर्ट है, 25 हजार ऐसे बड़े भू-स्वामी थे जिन्हों अपने जमीन के बारे में ज्यादातर भूस्वामियों ने जो हिसाब दिया है वह गलत दिया है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं हमारे यहां एक रामगुलाम साहू बड़े भूस्वामी हैं, करीब 18 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन उनके परिवार के पास है। उसने अपने रिटर्न बताया है कि मेरे पास केवल 18 एकड़ जमीन है यानी जितनी सिंचित जमीन हदबन्दी में हो सकती है उतनी है जब कि उसके परिवार के पास 18 हजार एकड़ जमीन है।

SHRI N. G. GOREY: That is the justification of Jayaprakash movement.

श्री भोला प्रसाद : इसी प्रकार हमारे यहां बड़े बड़े भूस्वामी हैं जिन्होंने अभी तक जमीन का सही रिटर्न नहीं दिया है। सरकार की ओर से जो इस कानून का सख्ती से मुस्तैदी से पालन नहीं हुआ उसका फ़ायदा

बड़े भूस्वामियों ने उठाया है। फ़र्जी बंटवारे करके, बन्दोबस्त करके दिखला दिया है कि हदबन्दी से फ़ाजिल ज़मीन उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं इस बीच बड़े पैमाने पर भूस्वामियों ने गरीब भूमिहीन किसानों पर हमला किया और जो जमीन उनकी जोत में थी उससे उनको बेदखल किया। इस तरह से गरीब किसानों को भूमिहीन बनाया गया और उनको बड़े पैमाने पर बेदखल किया गया। इससे उनकी रक्षा करने के लिए कुछ कानून तो बने लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। मैं बिहार का उदाहरण देता हूं, जहां पिछले दो साल में 73–74 में और 74–75 में 32 हजार दरखास्तें किसानों की गवर्नमेंट के पास हैं कि उन्हें अपनी जोत की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जबकि आमतौर पर ऐसे किसान बटाईदार जो कमजोर हैं दरखास्त देने में डरते हैं क्योंकि वे दरखास्त देंगे तो भूस्वामी उनको और भी बेदखल करेंगे लेकिन फ़िर भी जो दरखास्त दी है उनमें से मुश्किल से 9 हजार का निष्पादन हुआ है बाकी पड़ी हुई हैं। उनको लेकर आज कितना बड़ा संघर्ष गांवों-गांवों में छिड़ा हुआ है। आपको पता है कि इस बीच में जमींदारों ने बड़े पैमाने पर किसानों को बेदखल करने के लिए एक तरफ़ सरकारी अधिकारियों और पुलिस का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ़ कांग्रेस के मंत्री थे उनको इस्तेमाल किया। जितने बड़े भूस्वामी हैं, चाहे वे कांग्रेस में हों, कांग्रेस के बाहर हों, संगठन कांग्रेस में हों, जनसंघ में हों, सब इकट्ठे हो गये और इकट्ठे होकर उन्होंने किसानों पर हमला करना शुरू किया जिसके कारण पिछले वर्षों में सैकड़ों किसानों की जानें गईं और उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are to wind up now. We are bound by the rules. Only fifteen minutes.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: But the guru is above rules. He is sitting behind.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody is above rules.

श्री भोला प्रसाद : अभी मैंने हदबन्दी के बारे में कहा। खेत मजदूरों के लिए बसने की जमीन के सम्बन्ध में कानून '48 में बन गया था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। 1967 के बाद से उस सम्बन्ध में जगह-जगह आन्दोलन होना शुरू हुआ है। अभी केरल मे 5 लाख खेत मजदूर परिवारों को बसने की जमीन पर अधिकार दिया गया है। बिहार में भी करीब दस लाख खेत मजदूरों को जमीन पर बस जाने का पर्चा मिला है लेकिन वह जो जमीन का पर्चा मिला है वह कानून के मुताबिक नहीं हैं। जिस जमीन पर वह लोग बसे हुए हैं और जो उनका सहन और घर-बार है, उस पर जो अधिकार का पर्चा उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और सरकार के एलान के मुताबिक कम से कम 130 वर्ग गज जमीन बसने के लिए एक खत मजदूर को मिलनी चाहिए थी वह उसको नहीं मिली और आज भी हालत यह है कि अभी तक ऐसे 50 परसेंट खेत मजदूर ऐसे हैं कि जिनके परिवारों को बसने के लिए जमीन पर कोई अधिकार नहीं मिला है और जिनको अधिकार मिला है उनको भी बेदखल करने की कोशिश की जाती है। पर्चा मिलने के बावजूद भी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, now I think I will call the next speaker.

श्री भोला प्रसाद : इसी तरह आदिवासियों का महाजनों द्वारा शोषण किया जाता है। उनकी जमीन उनको वापस दिलाने का प्रश्न है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. Mr. Balram Das.

श्री भोला प्रसाद : मेरा प्रस्ताव है कि सरकार यदि सचमुच में ईमानदारी से उनके लिये कुछ करना चाहती है तो उसको अपने फैसले

के मुताबिक जो कानून राज्यों में भूमि सुधार के सम्बन्ध में पास किये गये हैं उन पर अमल करना चाहिए और खेत मजदूरों पर जो कर्ज की गुलामी है उसको समाप्त करना चाहिए।

श्री बलराम दास (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, जो प्रस्ताव श्री मकवाणा जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। और मैं तहेदिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज हम देश में समाजवाद का नारा लगा रहे हैं और यहां समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन इस समाज में जो खेतिहर मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं उनकी हालत को देख कर मुझे दुख होता है।

[The Vice-Chairman (Shri V. B. Raju) in the Chair.]

और मुझे ही नहीं सदन के जितने भी सदस्य हैं उनको दुख होता होगा और हमारे यहां अर्थशास्त्र में जो एक कहावत कही जाती है कि :

"The Indian farmer borns in debt, lives in debt and dies in debt."

यह वास्तव में जो हमारे भूमिहीन मजदूर हैं उनके संबंध में ही हमारे अर्थशास्त्रियों ने अपना यह मत व्यक्त किया है। उनकी आजादी के पहले जो हालत थी वह आज भी है। मैं समझता हूं कि उनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन केवल उन स्थानों पर और उन प्रान्तों में हुआ है जहां पर भूमिहीनों को कुछ जमीन एलाट हो गयी है सरकार की ओर से जमींदारी उन्मूलन कानून के मातहत और हदबंदी कानून के अंतर्गत। इसमें उनको कुछ जमीन दी गयी है और उसमें मैंने यह देखा है कि वे लोग आबाद हो गये हैं और एसे स्थानों पर वह बड़ी चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे मुश्किल से दस या पांच परसेंट खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान होंगे जिनका हम आज इस जमाने में भला कर पाये हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी उन गांवों में जमींदारों और बड़े भूमिदारों की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे याद है और हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है कि जब भू-दान आन्दोलन शुरू हुआ था तो लोगों को और खेत मजदूरों को यह आशा बंधी थी कि शायद इस भू-दान आन्दोलन से उनका कुछ भला होगा, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और उन लोगो को कोई राहत नहीं मिली। मैं आपके माध्यम से मिनिमम वेजेज एक्ट का संदर्भ देकर निवेदन करना चाहता हूं कि यह मिनिमम वेजज एक्ट 1948 में हमने पारित किया था लेकिन ऐसे बहुत कम स्टेट्स हैं—मेरे ख्याल से केवल महाराष्ट्र और गुजरात, ऐसे दो तीन प्रान्तों में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया गया है और दूसरे प्रान्तों में उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यह बड़े दुःख की बात है। 1947 से यदि आज हम अंदाज लगायें तो मंहगाई चौगुनी, पांच गुनी बढ़ चुकी है लेकिन आज मजदूर को जो मजदूरी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रही है। आज उनके बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा है। वे भूखों मर रहे हैं। एक जमींदार साहब से मेरी बात हुई। वह कहने लगे कि मजदूर बड़े आराम में हैं। उन लोगों को हम 5–5, 6–6 रुपये रोज की मजदूरी देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक कह रहे हैं कि 5–6 रु० रोज की मजदूरी आप उनको देते हैं, लेकिन क्या आपने यह जोड़ा है कि 365 दिन में आप कितने दिन उनको 5–6 रु० रोज की मजदूरी देते हैं ? मैंने उनको समझाया कि आप 4–6 महीने साल में उनको 5–6 रु० रोज की मजदूरी देते हैं। यदि हिसाब लगाया जाए तो उनको दो रुपये रोज भी मजदूरी नहीं मिलती है।

सरकारी आंकड़े जो 1974 में शासन की ओर से निकले हैं मैं उनकी ओर आपका

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो गांव का मजदूर खेतों में काम करता है उसको रु० 1.43 दैनिक मजदूरी मिलती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हारवैस्टिंग सीजन। 95 पैसे औरतों को मजदूरी मिलती है। ये आंकड़े देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वे मजदूर किस तरह से थोड़े से पैसों में गुजारा करते होंगे, यह हम रे लिए सोचने की बात है।

कई प्रान्तो में, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में कई जगह मजदूरों ने आन्दोलन चलाये। गुजरात में कई गांवो में जो आन्दोलन चले उनका नतीजा यह निकला कि आखिर में ज़मींदारों की जीत हुई और ट्रेक्टर मंगाकर उन्होंने अपने खेतों का काम जारी रखा और बेचारे मजदूर दाने-दाने के लिए मुहताज हो गये। शहरों में जाते हैं तो वहां उनको मजदूरी तो मिल जाती है, लेकिन उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलते। उनके बच्चे खुली बरसात और कहीं-कहीं फुटपाथों में अपना गुजारा करते हैं। उनके लिए सेक्यूरिटी आफ लाइफ होनी चाहिए। हमने समाजवाद का सिद्धान्त अपनाना है उसके अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो कम से कम हर आदमी को हमारे समाज में मुहैया होने चाहिएं। लेकिन हमें अफसोस है कि हम इस वर्ग के लोगों को जिस प्रकार से मदद देना चाहते हैं वह हम नहीं दे पाये।

नरौरा में कांग्रेस ने जो एक निर्णय लिया, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और राजस्थान सरकार ने उस दिशा में कुछ काम भी किया है। मैंने अभी पिछले हफ्ते में जो आंकड़े पढ़े उनके अनुस र राजस्थान सरकार ने काफी भूमिहीन मजदूरों को जमीन बांटी है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार यदि केन्द्रीय सरकार हर राज्य पर दबाव डाले, हर महीने उनसे पूछे कि आपने इस दिशा में क्या किया है तो मुझे लगता है ।क जो हरिजन, आदिवासी या गरीब समुदाय, जो ज्यादातर इसी वर्ग में शामिल है, उसको राहत मिल सकेगी और वे अच्छी तरह से जी सकेंगे। यही मैं आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहत हूं कि कानून के बारे में जो मकवानाजी ने सुझाव दिया कि जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनके बारे में सरकार ने बहुत से कानून बनाये लेकिन अग्रिकल्चरल लेबर के बारे में मुझे लगता है कि जमींदारी अबोलिशन हो, टेनेन्सी एक्ट हो, मिनिमम वेजेज एक्ट हो, इस प्रकार के जितने एक्ट बने उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि उनके लिए योजना में कोई प्रावधान करना चाहिए इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिससे ये लोग जो गांवों में रहते हैं वे अपना जीवन तरीके से गुजार सकें। उनकी यह स्थिति है कि गांव दूर-दूर होते हैं इसलिए वे अपना संगठन नही बना पाते। उनके पास सड़कें भी नहीं होती हैं, उनके पास साधन भी नहीं होते हैं इसलिए वे संगठित नहीं हो पाते हैं। संगठित होने के अलावा वे अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने की वजह से वे कोई संगठन बनाकर अपनी मांग सरकार तक नही पहुंचा पाते। इसलिए उनको यदि शासन की ओर से कोई राहत नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि हम उनका भला नहीं कर सकते। इसलिए केन्द्रीय सरकार को और प्रान्तीय सरकारों को उनके बारे में कुछ कल्याण की योजनाए बनानी चाहिएं जिससे कि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। इन लोगों की जो दैनिक जीवन की आवश्यकताए हैं वे पूरी कर सकें यही मेरा निवेदन है। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राज) : श्री ओइम् प्रकाश त्यागी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री त्यागीजी बोलें इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो निजी प्रस्ताव होते हैं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इनमें ऐसा होता है कि एक ही प्रस्ताव पूरे सत्र चलता रहता है इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जो प्रस्ताव एक बार प्रारम्भ हो उसी दिन उस पर पूरी चर्चा हो जाये। जो ढाई घंटे या तीन घंटे नियत हो उसी समय में यह पूरा कर लिया जाये और अगल शुक्रवार को दूसरा प्रस्ताव आये जिससे दूसरे सदस्यों को भी अवसर मिल सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : मैं समझता हूं यह बिजनैस अडवाइजरी कमेटी में गौर करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं वे कुछ करें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैंने पहले भी एक-दो बार मूव किया था लेकिन कोन्सेन्सस यह थी कि कभी-कभी इम्पोंर्टेंट विषय आ जाते हैं।

Anyway, we can again take it up.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पहले शक्रवार को जो प्रस्ताव आया था वह सारे सत्र तक चलता रहा इसलिए मैं चाहता हूं इसको देखा जाए।

SHRI OM MEHTA: We also do not want it.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्षजी, मैं श्री योगेन्द्र मकवाणा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है और मैं इसका समर्थन करता हूं। यहां सरकार द्वारा मजदूर की ओर ही ध्यान देने की बात है जबकि मेरा कहना है कि मजदूरों के हित में तमाम लोगों को, देश भक्त लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिनका शोषण हो रहा है उन मजदूरों में भी दो प्रकार के मजदूर हैं। एक वे हैं जो शहरों में रहते हैं और दूसरे गांवों में रहते हैं। शहरों में रहने वाले मजदूरों का तो मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान है। उनके लिए सरकार ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज बनाए हुए हैं जिसमें नाम लिखाए जाते हैं जिससे यह पता लग सके कि कितने लोग मजदूरी चाहते हैं और कितने नहीं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): I would have very much liked the mover of the resolution being present here when the debate is going on.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : जो मजदूर लोग यहां पर काम करते हैं कल-कारखानों में उनका तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान है। उनके लिए वैलफेयर आफिसर हैं। इससे भी ज्यादा इस बात का ख्याल रखा गया है कि मजदूरों के साथ मालिकों और सरकार द्वारा न्याय हो इसके लिए यूनियन का भी प्रावधान है। सभापति महोदय, ये अभागे ग्रामीण मजदूर हैं जिसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं गया है और सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शिंदे साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भूमिहीन मजदूरों की तरफ सरकार ने सहानुभूति प्रकट की है कोई ध्यान नहीं दिया है और उसका परिणाम यह है कि उनके सम्बन्ध में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। मैं प्रशासन से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस देश की स्वतंत्रता के 28 वर्षों के बाद भी इस बात का पता है कि भूमिहीन मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को आज तक इसका पता नहीं है। जब सरकार को इनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यह सरकार उनके सुधार के लिए कोई कार्य करेगी, इसमें मुझे विश्वास नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लिप सिमपैथी से काम नहीं चलेगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND

IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE): With due respect to the hon. Member, I may say that it is not a correct statement. Of course, I will take it up at the end. But very humbly I may mention...

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : शिन्दे जी, जब आप उत्तर दें तो उस वक्त अपनी बात कह लें। सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसके माध्यम से वह इनकी संख्या जान सके। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं और जो भूमिहीन हैं उनको केवलमात्र अपने मालिकों और बड़े किसानों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। उनको कितनी मजदूरी दी जाती है या कितनी नहीं दी जाती है, इसकी जानकारी इस सरकार के पास नहीं है। मैं स्वयं गांवों का रहने वाला हूं, इसलिए इस बारे में जानकारी रखता हूं। गांवों के अन्दर मजदूरों की कोई आमदनी नहीं है। गांवों के अन्दर अभी तक ऐसी व्यवस्था है कि केवल मात्र रोटी पर मजदूरों से काम लिया जाता है। वहां पर मजदूरों को इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि वे अपने घर का काम चला सकें। जो उनको मजदूरी मिलती है उससे दस गुना ज्यादा उनके घर का खर्च होता है। गांवों के अन्दर मजदूरों की इस दयनीय अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर बड़े-बड़े किसान लाभ उठाते हैं। जब वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है या अधिक वर्षा हो जाती है तो मजदूरों को काम नहीं मिलता है और ऐसी अवस्था में उनके पास किसी बड़े जमीदार के पास या महाजन के पास कर्ज लेने के लिए जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बेचारे मजदूर लोग कर्ज में और व्याज में ही मजदूरी करते रहते है। उप-सभाध्यक्षजी, शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमारे देश में अधिकांश मजदूर व्याज में ही काम करते रहते हैं। जिस प्रकार से गुलामों की स्थिति होती है उसी प्रकार से मजदूरों को काम करना पड़ता है। मैं शिन्दे साहब से कहना चाहूंगा कि यद्यपि यह एक कटु सत्य है, लेकिन उनको भी इसका अनुभव होगा। गांवों के अन्दर मजदूर जमींदारों पर निर्भर करते हैं और देहातों में तो स्थिति यह है कि मजदूरों की लड़कियों और बीबियों की अस्मत तक इन लोगों के हाथ में चली जाती है। गांवों के अन्दर इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो चुकी है। चूंकि पत्र-प्रतिनिधि वहां पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए सारी बातें अखबारों के अन्दर नहीं आ पाती हैं। बड़े बड़े जमींदार उनकी लड़कियों, बहुओं और पत्नियों की अस्मत लूटते हैं। इस प्रकार की दयनीय अवस्था उन लोगों की गांवों के अन्दर है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया गया है? मैं थोड़ा-सा अपने आंकड़ों के अनुसार बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इन मजदूरों की क्या स्थिति है। सन् 1960–61 में हमारे देश में पावर्टी लाइन 15 रु० मासिक थी और सन् 1970–71 में यह 30 रु० मासिक मानी गई है। इस देश के अन्दर 60 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन मजदूर न्यूनतम रेखा से नीचे रहते हैं। पंजाब के अन्दर 36 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। उड़ीसा के अन्दर 82 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 79 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 72 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 69 प्रतिशत, तमिलनाडू में 69 प्रतिशत, मैसूर और राजस्थान में 68 प्रतिशत और गुजरात में 66 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर पावर्टी लाइन से नीचे

4.00 P.M. रहते हैं। मैं कहता हूं बिलो पावर्टी लाइन वहां मजदूर रह रहा है। यह स्थिति इस देश की वर्तमान समय में है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां इस देश की अधिकांश जनसंख्या जो कि 82 फीसदी है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उसमें ग्रामीण मजदूर भी शमिल हैं, वहां हमारी सरकार का ध्यान 18 फीसदी मजदूरों की तरफ तो

[श्री ओ३म प्रकाश]

है परन्तु 82 फीसदी मजदूर जो गांवों में रहता है उसकी ओर कोई ध्यान सरकार का है नहीं। यह तो कहा गया है कि ग्रामीण मजदूर कितने घंटे काम करे, कितनी उसको छुट्टी मिले, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है कि मजदूरी कितनी ले। सरकार ने सहानुभूति प्रगट करके अभी कुछ थोड़ा सा सहारा दिया है, उसके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि अब सरकार ने कुछ थोड़ा सा सहारा दिया है, कुछ थोड़ा सा हरिजनों को सहायता देने के लिए प्रावधान किया है, हरिजन कल्याण बोर्ड के जरिए। परन्तु मैं कहना चाहूंगा, हरिजनों के नाम से जो सहायता सरकार की ओर से जा रही है वह बोगस कमेटी बना कर गवर्नमेंट से रुपया लिया जा रहा है और उसका आपस में ही बंटवारा हो जाता है, हरिजनों तक वह रुपया पहुंचता भी नहीं है। मैं थोड़ी मिसाल दूंगा—यहां पर, हमारे हरियाणा के मित्र सुलतान सिंह बैठे हुए हैं, उनके सामने एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हरिजनों के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ सहानुभूति प्रगट करके कानून निकाला कि जो हरिजनों के ऊपर कर्जा है वह सब माफ अगर डिक्री भी हो गई है तो डिक्री भी माफ। हरिजन बेचारे खुश भी हुए। मैं पिछले दिनों गांव गया था, मुझसे हरिजन लोग मिले और कहा कि त्यागीजी, अब तक हम अछूत नहीं थे, अब सरकार ने अछूत बना दिया। "क्यों, क्या हुआ?" "यह कानून निकला, कुछ तो फायदा हुआ, 200–400 रु० का लोन तो माफ हुआ, लेकिन अब व्यवस्था यह बन गई है कि देहात में कोई महाजन या कोई बडा जमीदार किसी हरिजन भाई को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो रुपये की सहायता मिल भी सकती थी, सरकार के इस मूर्खतापूर्ण आदेश से उन हरिजनों की वह सहायता अब बंद हो गई।"

उसके बाद एक बात और बताना चाहूंगा। मैंने बताया, हरिजनों की सहायता के लिए सरकार ने हरिजन कल्याण बोर्ड भी स्थापित किए हैं। उसका छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। हरिजन कल्याण के नाम पर गवर्नमेंट की ओर से प्रति वर्ष धनहीन, भूमिहीन हरिजनों के लिए वहां से पैसा निकाला जाता है। मैं दिल्ली के पास के प्रदेश हरियाणा की मिसाल देना चाहूंगा। हरियाणा के हिसार जिले में एक बोगस फर्म फतेहाबाद ऑटोमोबाइल्स स्थापित हुई, उसने हरिजनों के नाम पर, हरिजन कल्याण के नाम पर, हरियाणा गवर्नमेंट के हरिजन कल्याण निगम, चंडीगढ़ से 50,000 रु० बोगस तरीके से हरिजनों के नाम पर ले लिए। अब उन हरिजनों को जिनके नाम से वह रुपए लिए गए उनको पता भी नहीं कि 50,000 रु० लिए गए हैं। अब जब उन हरिजनों के पास पहली इंस्टालमेंट का नोटिस आया तो वे बड़े चकराए। उन्होंने कहा हमने तो कोई पैसा नहीं लिया। पहले तो जिन्होंने सेक्योरिटी दी हुई थी उन्होंने सोचा चलो, पहले इन्स्टालमैंट का रुपया दे दो और दे भी दिया लेकिन जब दूसरा इंस्टालमेंट को देने का नोटिस आया तब ये लोग घबड़ाए कि क्या हुआ, हमारे नाम पर कर्जे कैसे चढ़ गए। Another firm named M/s. Sardar Singh Jagat Singh dealing in tractors at Hissar comprising father and brother of the same M.L.A.

यानी, उसमें एम० एल० ए० भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी का एम० एल० ए० है, रूलिंग पार्टी का एम० एल० ए० है। It committed another fraud. It managed to take a loan of Rs. 3,96,000/-.

इस तरह से हरिजनों के नाम पर रुपया ले लिया गया, 44 हरिजनों के नाम पर रुपया ले लिया गया। दो हरिजनों को एक ट्रेक्टर खरीदने के लिए रुपया मिलता है और इस तरह से इस फर्म ने दो हरिजनों के नाम पर 9 हजार रुपया ले लिया और इस तरह से

44 हरिजनों की लिस्ट बनाकर 3 लाख 96 हजार रुपया बोगस कम्पनी के नाम पर ले लिया।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्डकास्ट कमिश्नर और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर को भारत सरकार ने इन लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया है। इस चीज के बारे में शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह से गवर्नमेंट के नाम पर हरिजनों के कल्याणों के लिए दूसरे लोगों को रुपया दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से इन लोगों को बैंकों द्वारा सहायता करने के लिए कहा गया है। अगर किसी भी सरकारी बैंक से सहायता लेनी हो तो पहिला प्रश्न बैंक वाले यह करते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए जमीन या मकान है? जिनके पास जमीन और मकान नहीं है, उनको बैंक किस तरह से कर्जा दे सकता है? इसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार ने तो हरिजनों, भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों को सरकारी बैंकों द्वारा सहायता करने की बात कही है, लेकिन वह सहायता इन लोगों को नहीं पहुंच रही है बल्कि उनके नाम से बोगसफर्म्स और दूसरे लोग ले जा रहे हैं। आज हरिजनों के नाम पर मिडिलकास्ट के लोग रुपया सहायता के लिए ले जा रहे है और इस तरह से हरिजनों और गरीब लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं पहुंच रही है। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे हरिजनों को बकायदा सहायता मिल सके।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा देश में लगाया है। सरकार ने गरीब लोगों के उत्थान के लिए, हरिजनों को सहायता पहुंचाने के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करने में सहायता का प्रोग्राम बनाया है। इस सम्बन्ध में मेरा जितना अनुभव है उस के मुताबिक मैं यह कह सकता हूं कि लघु उद्योग का काम जितना है वह मिडिलकास्ट के लोगों के पास चला गया है और हरिजन लोगों के पास लघु उद्योग का काम बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण यह है कि पहिले लघु उद्योग शुरू करने के लिए ट्रेनिंग के लिए हरिजन जायं और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें पैसा लगाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। जब पैसे का सवाल आता है, तो बैंक वाले उसी को कर्जा देते हैं जो कि मकान या जमीन को सिक्योरिटी के तौर पर रख सके। आज हालत यह है कि हरिजनों के पास न जमीन है और न ही मकान है जिसको वे गिर्वी रख सकें। लघु उद्योगों को सीखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और हरिजनों के पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह उसकी ट्रेनिंग ले सके। सरकार ने लघु उद्योगों की ट्रेनिंग के लिए जो भी व्यवस्था की हुई है अगर वहां पर जाकर देखा जाय तो उन सैन्टरों में मिडिलकास्ट के लोगों को पायेंगे। हरिजन नाम की कोई चीज वहा पर आपको नहीं मिलेंगी। हरिजनों के नाम पर जो ट्रेनिंग सैन्टर बने हुए हैं उनमें एक भी हरिजन आप को ट्रेनिंग लेते हुए नही मिलेगा। मैं आपको इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूं। गांवों में बहुत से हरिजन चर्मकारी का काम करते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं। इस तरह का कार्य उनको या उनके बच्चों को दिया जा सकता है। सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने चर्मकारी और जूता बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, लेकिन इस तरह का जितना भी कार्य था वह सब आगरे में चला गया है। आप आज आगरे में चले जाइये, वहां पर आपको ठाकुर और राजपूत इस काम को करते हुए मिलेंगे। आज चमार से जूता बनाने का धंधा छीन लिया गया है। गांवों में जो हरिजन जूता बनाकर

अपनी आजीविका कमाता था, वह आज समाप्त हो गया है और वे बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़ गये हैं मैं समझता हूं कि यह उद्योग इन लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि ये लोग इस धंधे में पहिले से ही ट्रेन्ड हैं। इसलिए सरकार को कोआपरेटिव के आधार पर इन लोगों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये तब ही हरिजनों का उद्धार हो सकता है।

मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो गिरे हुए हरिजन हैं उनमें से ज्यादातर भंगी ही ज्यादा गिर हुए हैं जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हरिजनों के नाम पर जितनी भी सहायता दी जाती है उसका 99.9 परसेंट दूसरे लोगों के पास चली जा रही है। भंगियों के पास आज तक कुछ पहुंचा नहीं ; वह बेचारा आज तक ट्टटी उठा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस कलंक को तो दूर कर दीजिए। आप सेफ़्टी टैंक बनवा सकते हैं ताकि उसको ट्टटी न उठानी पड़े। कम से कम यह काम तो आप कर सकते थे। आप कहेंगे कि कैसे करें। देहातों में और यहां भी फ़्लश की ट्टटियां हैं और बन सकती हैं।

श्री जगनाथ भारद्वाज : इसके लिए स्वयंसेवक चाहिए।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : गवर्नमेंट के दिमाक में बात आनी चाहिए। मैं देहात की बात कहता हूं। हमने देहात में सेफ़्टी टैंक बना दिए हैं घरों में। अब भंगी को ट्टटी उठाने का काम नहीं करना पड़ता। पहले वे ट्टटी उठाते थे और उनको किसानों से अन्न की सहायता मिलती थी। वह काम बन्द हुआ तो उनकी वह सहायता भी बन्द हुई। मैं समझता हूं कि उनको काम मिलना चाहिए। सुअर पालने का धन्धा उनका शुरू से चला आ रहा है, मुर्गी उनके घरों में रहती हैं। क्या वे सुअर पालने का काम और पोल्ट्री फ़ार्म का काम नहीं कर सकते थे? पर उन बेचारों को नहीं दिया गया। पोल्ट्री फ़ार्म और सुअर पालने का काम भी बड़े लोगों, मिडिल कास्ट के हिन्दुओं के हाथ में दे दिया गया। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हम प्रिफ़रेंस किसको दें। उन लोगों को प्रिफ़रेंस नहीं दिया गया।

खास तौर से भूमिहीन मजदूरों के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर भूमिहीन मजदूरों के लिए सरकार के दिल और दिमाक में कोई सहानुभूति है, उन्हें लघु उद्योग की ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग के साथ लघु उद्योग के लिए मकान बनाना हो तो मकान बनाएं जमीन देनी हो तो जमीन दी जाए। पैसा देना हो तो पैसा दें। साथ ही साथ उनके लघु उद्योगों द्वारा जो सामान बने उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट के परचेजिंग सेन्टर्स हों क्योंकि वह बेचारा नहीं जानता कि उसका बना हुआ माल कहां जाएगा नहीं तो वह फ़िर एक्सप्लोइट किया जाएगा। गवनमेंट की ओर से ही कारखाने बनाये जाएं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है ; धारिया जी आप प्लानिंग में बड़ा इन्टरेस्ट लेते रहे हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है। भूमि नहीं है उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको काम दिलावाइए, जब तक मेनेजमेंट की ताकत उनमें नहीं आती गवर्नमेंट का मेनेजमेंट रहे और जब उनमें वह योग्यता आ जाए तो कारखाना उन्हीं को सौप दिया जाए। कारखाने के मालिक कारखाने में काम करने वाले मजदूर माने जाए गवर्नमेंट नहीं। इस प्रकार की स्थिति आप लाएगें तो इस देश में भूमिहीनों की समस्या का समाधान हो सकेगा अन्यथा नहीं।

भूमि वितरण की बात में कहना चाहूंगा भूमि वितरण के सम्बन्ध में सीलिंग की बात आई। मैं गांव की बात जानता हूं। मेरे गांव में जमींदार हैं। जिस समय सीलिंग की बात आई उन्होंने जमीन अपने लड़के, बहनोई सबको जमीन बाट दी और सीलिंग के बाद

उनके पास एक बीघा भूमि भी नहीं बची। यह फ्राड है कि सीलिंग से बची हुई जमीन भूमिहीनों को बांटी जाएगी। गवर्नमेंट के पास एक बीघा जमीन भी कही आई है। जहां जमीन बची भी मैं जानता हूं सरकार ने एलान किया कि भूमिहीनों को जमीन दो मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं गांव के एक पंच को जानता हूं, उसने वह जमीन अपने लड़के को दे दी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा लड़का भी तो भूमिहीन है। लड़के को अलग कर दिया। अलग रहता है। इसलिए भूमिहीन है। भूमिहीन हरिजन होना जरूरी नहीं है। अपने लड़के को भूमिहीन बना कर जमीन दे दी। हरिजनों के पास नहीं पहुंच पाई। सीलिंग के बाद जमीन बचेगी और आप उसे बाटेंगे यह अलग बात है लेकिन सरकार के पास जो परती जमीन है उसको सरकार ने क्यों नही बांटा। मैं सरकार की ईमानदारी पर हमला कर रहा हूं। सरकार अन्दर से ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो जो जमीन उसके पास है उसका वितरण कर देती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म्स की आवश्यकता है। सरकार एलान करे कि जो खेत जोतता है खेत का मालिक वह हो, जो खेत नहीं जोतता, खेती नहीं करता उसको खेत का मालिक रहने का अधिकार नही है। दूसरी बात मै कहना चाहूंगा कि नौकरियों में जिनके पास जमीन है जिन के पास मकान है उनको नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए।

श्री एन० एच० कुम्भारे (महाराष्ट्र): जमीन का राष्ट्रीयकरण करा दीजिए।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी: वह तो अगला कदम है और बहुत अच्छा है लेकिन मै अभी यह कहना चाहता हूँ कि नौकरियों मे सरकार को एक मापदण्ड रखना चाहिए जिस परिवार के पास जमीन है, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया है उनको पहले नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। नौकरी के लिए आने वाले केन्डीडेट्स से पूछा जाए कि उसके परिवार के पास कोई आमदनी का जरिया है या नहीं, यदि उस के पास आमदनी का कोई जरिया है तो उस को बाद में नौकरी दी जाए, ताकि हर परिवार में कम से कम एक कमाने वाला तो हो।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी मांग यूनियन के नाम पर हमारे भाई ने उठाई है। जो बचे हुए मजदूर हैं उन को भी मारने की बात आप मत कीजिए। गांव में यूनियन की बात करना ठीक नही होगा जो थोड़ा बहुत काम उनको मिल रहा है वह भी उससे खत्म हो जाएगा। शहरी यूनियनें देहात में फेल कर जायेंगी और किसान और मजदूर का जो आपस में एक मधुर सम्बन्ध हैं वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस को बनाये रखते हुए आप उन मजदूरों के विकास की कोई योजना बनाइये। तो कुछ हो सकता है और मैं समझता हूं कि उसके लिए एग्रीकल्चर बेस्ट, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को वहां बढ़ाइये।

अंत में, उपसंहार में, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपने दिमाग से भेद निकाल दे। अभी तक भारत सरकार में प्लानिंग जिनके हाथ में रही है उनके दिमागों में भारत का निर्माण शहरों का निर्माण ही रहा है। गांवों के लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बनायी जबकि 80 प्रतिशत भारतवासी गांवों में रहते हैं। उन्होंने गांवों की उपेक्षा की है। अगर वह गांवों की उपेक्षा करेंगे और मुट्ठी भर शहरों को बढ़ायेंगे तो अवस्था वही होगी कि जो आज इसमें है कि 80, 87 परिवारों के हाथ में ही सारे देश की सम्पति आ गयी है और उनके खिलाफ देश का गरीब वर्ग अपंग बन कर खड़ा हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि वह दिन न आ जाय कि जब सारे गांव के लोग आर्गनाइज होकर मुट्ठी भर शहर वालों के खिलाफ खड़े हो जायं जहां कि सारे

अस्पताल, सारे कल-कारखाने हैं और जहां सारी फेसिलिटीज हैं और उनको आज भी शहरों में ही केंन्द्रित किया जा रहा है। ऐसा होने से देश में एक अजीब स्थिति पैदा हो जायगी जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। आशा है कि सरकार इसका ध्यान रखेगी।

श्री कासिम अली आबिद (आंध्र प्रदेश): वाइस चेयरमैन साहब, मकवाणा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसकी ताईद ही नहीं करता हूं बल्कि मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं इस लिए कि हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर मिसेज इन्दिरा गांधी ने मुल्क से गरीबी हटाओ का नारा लगाया। मुल्क से गरीबी हटाओ का नारा तभी शर्मिंद मे ताबीर हो सकता है जबकि लैंडलेस लेबरर्स की हालात को सुधारने की तरफ हम कुछ तवज्जोह करें। आज हालत यह है कि देहात में मजदूर बहुत गुरबत की हालत में रहते हैं। उनकी हालत काबिले सुधार है। उन गोशों पर हुकूमत की निगाह नहीं जाती और मैं इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी सेशन में जब मैं आ रहा था उस वक्त महबूबनगर जिले के सोशल वर्कर एम० ए० गफार ने मुझे दावत दी कि आप आ कर देहात के मजदूरों की हालत को देखिये और तहकीकात कीजिये। चुनांचे मैं अपने चन्द साथियों के साथ महबूबनगर गया जहां पर हमारी आमद के सिलसिले में 50-60 गांव के लोग जमा थे। उनसे हम ने तहकीकात की, हालात की छान-बीन की। वहां कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां मजदूर लोग रहते हैं। उन लोगों को साल में सिर्फ दो सौ रुपया दिया जाता है और 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है और उसकी बीवी को भी नौकर रखा जाता है और उस बीवी की तनख्वाह साल में एक साड़ी होती है। वह जमीदार के घर का सारा काम करती है, झाड़ू भी लगाती है और उसको बदले में साल में एक साड़ी मिलती है और उसके मर्द की तनख्वाह साल में दो सौ रुपये है और जब उसके धर में कोई शादी ब्याह होता है तो वह उन से ही कर्ज लेता है। अगर चार सौ, पांच सौ कर्ज लेता है तो 4-5 साल के बाद वह रुपया हजार डेढ़ हजार हो जाता है। इस तरीके से वह लैंड लार्ड के जाल में फंसता जाता है कि उस जाल से कभी नहीं निकल सकता। गांवों में गोसन, वनचराई और परमोख जमीनें भी हैं, वह भी लैंड लार्ड किसी न किसी तरीके से अपने नाम से पट्टा कर लेते हैं। अगर हुकूमत लम्बारे, बंजारे या हरिजन हैं उनको देना चाहती है तो कोई जमीन उसको नहीं मिल सकती। जैसे हमारे भाई त्यागी जी ने कहा कि जो जमींदार हैं वह लोग जमीनों को लैंड सीलिंग आने से पहले ही अपने कुत्ते, बिल्लियों के नाम से पट्टा करा चुके हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक देकर लैंड सीलिंग से बचने के लिए जमीन उनके नाम कर दी है। तो लैंड सीलिंग से कुछ आने वाला नहीं है जो गरीबों में तकसीम किया जा सके। इस तरीके से लैंड लार्ड्स के तले में वह लोग दब रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं हो रही है। अगर मुल्क में सोशलिज्म लाना है तो इन जरई मजदूरों के लिए, जो देहात में रहते हैं उनके हालात सुधारने की जरूरत है। उनको पूंजीपतियों के आहनी पंजों से बचाने की जरूरत है। तभी मुल्क में सोशलिज्म आ सकता है। आप जानते हैं कि हमारा यह मुल्क जरई मुल्क है। यहां जरई मजदूर हैं और वीवर्स भी हैं। वीवर्स 10-12 करोड़ रहते हैं। जरई मजदूरों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। इन दोनो तबकों वीवर्स और जरई मजदूरों के हालात सुधारने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक न सोशलिज्म आ सकता है, न जम्हूरियत की जड़ें इस देश में मजबूत हो सकती हैं, न इंदिरा जी का गरीबी हटाओ का मंसूबा पूरा हो सकता है। इसलिए मैं वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं, इसलिए कि वे आन्ध्र के हालात से वाकिफ हैं, इसलिए कि वे किसानों के लिए और गरीब लोगों की तरक्की के लिए मेहनत करते आये हैं, उनके

सारे मसायल से दिलचस्पी है, ताल्लुक भी है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि ग्राप इस मामले में तवज्जह दें ताकि वीवर्स के हालात और जरई मजदूरों की हालत सुधारने का मौका मिले और उन लोगों को सरमायेदारों और जमींदारों के नये नये जो जाल हैं, नई नई जो चालें हैं उनसे बचाया जा सके और हकीकी मायनों में सोशलिज्म और डेमोक्रेसी लाने की राह जल्द से जल्द फरहम कर दी जा सके।

इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो लेबर देहात में रहता है, न उसके लिए पानी का और न रहने का इंतजाम है। ग्राम पंचायत समितियां बनी हैं। ग्राप जानते हैं कि जब आंध्र प्रदेश में निजाम की गवर्नमेंट थी तो यहां बड़-बड़ सरमायेदार, बड़े-बड़ जमींदार रूमी टोपी लगा कर, शेरवानी पहन कर निजाम के दरबार में पहुंचते थे, हुजूरी से फायदा उठा कर देहात में जाकर इन्हीं गरीबों पर जुल्म करते थे, मनमाने लगान वसूल करते थे और उनको सताते थे। मुल्क के आजाद होने के बाद हमारे लीडरों ने खौम को बड़े-बड़े नारे दिये। मुल्क में जम्हूरियत लाने की कोशिश की, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई उनसे हमदर्दी रखता है, गरीबों के मदद करने के लिए तैयार होता है तो उनको किसी न किसी तरीके से मार फेंकने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं, वाइस चेयरमैन साहब तेलंगाना मूवमेंट भी इसी जुल्म और ज्यादती की वजह से आंध्र में हुआ था। बिल खसूस तेलंगाना में 45-46 से लेकर 1951 तक उसका जोर रहा। इन्हीं वजूहात की बिना पर इन्हीं जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ तमाम छोटे किसान और मजदूर एक साथ इकट्ठे हो गये। उन्होंने शासन का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन हमारी हुकूमत जो सोशलिज्म को लाने की कोशिश कर रही है, इनसे मेरी गुजारिश है कि जब तक मजदूर मुल्क में तरक्की नहीं करेगा, वीवर्स की हालत को बदलने की, ठीक करने की कोशिश नहीं की जायेगी तब तक न आपका पंचायत राज कामयाब हो सकता है, न आपका खादी बोर्ड, खादी कमीशन, हरिजन संघ, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और लबारीज और माइनारिटीज की भलाई के लिए बनने वाले जो कारपोरेशन हैं वह कामयाब तरीके से कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन मजदूरों की तरफ जो लाखों और करोड़ों की तादाद में देहातो में पड़े हुए हैं उनकी हालत को बदलने के लिए, उनको जमींदारों और पूजीपतियों के शिकंज से बचाने के लिए फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। उनको जमीनात की और दूसरी किस्म की सहुलतें अपनी जिन्दगी को एक मय्यार पर लाने के लिए और एक आजाद शहरी की हैसियत से खुशहाल जिन्दगी गुजारने के लिए दी जाएगी तभी मुल्क में सोशलिज्म आ सकेगा। तभी इन्दिरा गांधी का 'गरीबी हटाओ' का नारा पूरा हो सकेगा। जो रेजोलूशन श्री योगेन्द्र मकवाणा ने पेश किया है मैं उसकी दिल से ताईद करता हूं बल्कि ताईद ही नहीं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदा हाफिज।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the conditions of peasants in this great country of ours can never be improved unless and until the tillers of land become the owners of land. We have developed a capitalist economy in this country in the name of Five Years Plans. Of course, taking help from even socialist countries we have developd a capitalist economy and our economy is ordinarily an agrarian economy. That is what Gandhiji told us, but we have gone away from the path of Gandhiji and the principles and teachings of Gandhiji. We have industrialised this country and thereby capitalism has grown in this country. Because of it the peasants and the agrarian people are in such

[Shri G. Lakshmanan]

a condition. In all the Five Year Plans we have not given importance to agrarian reforms or the upliftment of peasants and their living conditions. Today for every election we go to the village. Even in the last election when I want and met the people to get their votes, I saw them in the same condition in which they were existing about 27 years ago when we got independence. Children are without cloth to wear. Ladies are with only one Sari and aged persons are without a shirt. This is the condition of the peasants in this country even after 27 years of Independence. Definitely the Congress party as the Government in power must be ashamed that such a situation exists, in spite of the fact that they say that they are ruling this country very well and that they are looking after the interests of the people. Land reform alone will not yield the desired results. When the Congress was ruling in our State they brought in so many land reforms. They fixed the land ceiling at 30 acres, but they gave exemptions to certain vested interests. For instance, pasture lands were exempted and lands where we could grow sugar-cane were exempted. You know why it was done. One of the Ministers in the then Madras Cabinet, Nalla Senapathi Sarkarai Manradiar, owned a lot of land as pasture land. He converted them into pasture land and that was exempted. Then, another big business magnate, the biggest landlord in Tamil Nadu by name Thiru V. S. Thiagaraja Mudalia, owned thousands of acres of land. He got exemption from the then Chief Minister Thiru Kamaraj, who is now talking very well about the poor people, their upliftment and all those things. We gave exemption to him. Thousands of acres of land, where sugar-cane was grown, were also exempted. And they brought 30 acres as the ceiling. Before that, they made an announcement that they were going to bring a ceiling on the land, and all those people, in a socialistic way, of course divided their land to that extent; even the child in the womb was given a portion. That was what the Congress Government did before 1967. When the DMK came to power my friends were saying that the DMK Government also had not brought about any land reform and all that. For the information of this House, I may state that we reduced the 30-acre ceiling to 15 acres. Not only that. All the pasture lands which were exempted by the then Government in order to favour Nalla Senapathi Sarkarai Manradiar who was a Minister in the then Madras Cabinet were also brought under the land ceiling, and also the lands exempted by the then Government headed by Shri Kamaraj lands growing sugarcane, they were also brought under the land ceiling, and only 15 acres was fixed as the land ceiling, which has been fixed at the national level.

If we think that by not doing things the position of the peasants would be improved, we are only in a dreamland. What is the reason for this kind of a system existing in this country? This kind of system is in existence because the caste system is unfortunately rooted in this country. The last man in the society—Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra—the Sudra is only the peasant. The Brahmin is not a ploughman, the Kshatriya is not a plough man, the Kshatriya is not a proughman. And nowadays we call the Sudras as Harijans. And they did not care for their welfare. The high caste man will come and measure the paddy and take it away; he would never care for the children of those peasants. And that is why the present conditions are in existence. We must go to the root. The caste system is responsible for this and that is why these peasants are in such a position. Unless and until we eradicate the caste system completely, we cannot improve their lot. Our leader, the late Anna, had said: 'Onre kulam; oruvane devan'. That is, 'one religion and one god'. If this is not brought about in this country, you

cannot improve their lot either by land reforms or by any other method. Everyone of us must think in such terms. Only then can we do something for **them.**

Of course, as far as the Tamil Nadu Government is concerned, we do not believe in casteism; we are all natonalists and we do not say that there should be many castes. Of course, our leader, Pariyar, was saying that there was no god. But we say, there is one god, and that is our slogan. And on these lines we are running the Government.

Then, in order to improve the living conditions of these peasants what have we done? Any peasant who is living even in a fertile land owned by a landlord is given a piece of land for the construction of a house. Even if it is a very good land the landlord must hand it over to him. I think it is only in Tamil Nadu that it has been done. All the peasants in Tamil Nadu have been given lands wherever they are living. They may be living in a very fertile land which might be very costly and the landlord will not be willing to give it to the tenant. But we have brought forward a legislation to the effect that any tenant or peasant who is living in that land or anywhere must be given a portion. And then we have formulated a scheme to construct 10 lakh houses in Tamil Nadu in another five years. In these lands we are constructing houses. The land is free to the peasant, and the construction is done by the Government of Tamil Nadu at a cost of Rs. 5000 each. That is also free to him. An area of 60 x 40 square feet is given to him. That is how we are making some improvements as far as Tamil Nadu is concerned. Even when our hon'ble Minister of Food and Agriculture inaugurated some houses in Madras he said that the other States must take the example from Tamil Nadu and construct houses like this. Therefore, these are certain improvements which we have made and that has been possible with the meagre finances. Unfortunately, we have such a system of government where we cannot do much to the people in the States. We are unable to solve the unemployment problem. We are not able to look after the interest of the peasant. There are two governments in this country. The Central Government has got power to tax people. Thousands and thousands of crores of rupees are taxed and we do not have resources as far as the State is concerned. That is why our Tamil Nadu legislative Assembly has said that they want provincial autonomy. You need not be afraid of the word "provincial autonomy". It does not mean that we want separation from India or we want to go out of India. If at all we want to solve the unemployment problem, to better the condition of the peasants or to see that some more benefits are given to the people, then we must have this provincial autonomy. We have passed a resolution in our Tamil Nadu Assembly and sent it to the Government of India also. But no reply has been received so far.

So, Sir, I would say that unless and until this caste system is completely eradicated things in the society will not improve. Who is a shudra? Shudra is a Sanskrit word which means the son of a prostitute. That is what is written in Veda. Vesi in Tamil means a prostitute. And a peasant is the son of a prostitute. Then how the feudal landlords and the upper classes will touch them?

SHRI O. P. TYAGI: On a point of order. May I know from which book you have got this definition of a Shudra? I have gone through all the scriptures—Vedas and Shastras. I have not seen anywhere this definition.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Let us not go into that controversy now.

SHRI G. LAKSHMANAN: I should like to be enlightened by my learned friend. Shudra is a sanskrit word. May I know from the esteemed friend the meaning of the word "shudra"?

SHRI MOHAN DHARIA: Why do you not ask him the meaning of the word "Brahmin"?

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra): If it is a good word, if it does not have bad meaning why others should not adopt it?

SHRI G. LAKSHMANAN: In Tamil Nadu we have eradicated this caste system by slogan:

"Ondre Kulam Oruvanae Thevan"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You have already said that.

SHRI G. LAKSHMANAN: I will finish it with one point. It is said:

Pirappokkum Ellau Uyirkkum
Sirappovva Seithoezhil Vettru-
mayan

Everybody is born alike. He should not be known by the job he performs. Therefore, unless and until this caste system is completely revolutionised in this country and this caste system is completely eradicated all these bourgeois measures will not satisfy anybody. Here if somebody comes and shaves he is called a barber. If he washes he is called a washerman. If he does some other work he is called that community man. And if he is plough man he is called a Shudra. Therefore, the whole caste system should be revolutionised. The Indian people are very cultured people. They would definitely take to the times and they will see to it that these revolutionary measures are adopted in our country. Then alone land reforms and other progressive measures will succeed. Thank you.

SHRI JAGANNATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, Mr. Makwana's Resolution seeks to ameliorate the lot of the poor people in the rural areas and also of the landless people in the rural areas. I support the Resolution because, as a matter of fact, it seeks to better the lot of all types of poor people. Sir, Mr. Sitaram Singh wants me to speak in "apni bhasha". All languages are "apni", but I will speak in Hindi because he is my friend and I want to please him. मैं यह कह रहा था कि मकवाणा जी ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, जो गरीव लोग देहातों में रहते है, गरीबी हालत मे रहते है, उनकी हालत सुधारने के लिए पेश किया है और यही वजह है कि मैं उनके रेजोल्यूशन की ताईद करता हूं और सपोर्ट करता हूं । इस तरह का रेजोल्यूशन लाने के लिए मै मकवाणा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज के बारे मे सोचा जिस की कि आज बहुत जरूरत है ।

जहां तक देहात के लेबर का ताल्लुक है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उनके लिए किया है, कर रही है और बहुत करना अभी बाकी है । इस समय यह तय हुआ है गरीब लोगों को घर दिया जाय, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय, प्लाट दिये जाये और उनको दूसरी हर तरह की मदद दी जाय । इन सारी चीजों के बारे में श्री मकवाणा जी ने अपने रेजोल्यूशन मे भी कहा है उनको प्लाट दिया जाना चाहिये, मकान दिया जाना चाहिये और दूसरी सहायता दी जानी चाहिये । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उनके लिए मिनिमम वेज फिक्सड होना चाहिये । ये जायज चीजे हैं और इस तरह से कई चीजें इस रेजोल्यूशन मे है जिन के जरिये सही माने में गरीब लोगों की मदद

की जा सकती है । यही वजह है मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करता हूं और इसको लाने के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं ।

जहां तक इस चीज के बारे मे कानून का सवाल है, सरकार इस बारे मै कानून बना रही है, बना भी लिया है, लेकिन ज्यादा जरूरत इस बात की है कि किस तरह से, ओब्जैक्टिव ढंग से इन बातों को लाना चाहिये । इस बारे में कुछ बाते कहूंगा और वे एक तरह से सजेशन्स है और मै गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि वह इन पर गौर करे ।

पहिली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो लैंडलैस लेबरर हैं उनको आर्गनाइज्ड किया जाय । श्री त्यागी जी ने अभी कहा कि ये लोग गरीब हैं और इनकी तजीम नही हुई है, इन लोगों की ओर ध्यान नही दिया गया है और किस तरह से इन लोगों की मदद हो सकती है ? श्री त्यागी जी ने कहा है कि उन लोगों को अपनी यूनियन बनानी चाहिये ताकि ये लोग अच्छी तरह से आर्गनाइज्ड हो सके । जिस तरह से शहर के लोग अपनी यूनियने बनाकर, आर्गनाइज्ड ढग से अपनी माग मनवा सकते है, उसी तरह से उनको भी करना चाहिये । मां भी बच्चे को तब ही दूध देती है जब बच्चा रोता है । मां को कैसे पता होगा कि बच्चे को दूध की जरूरत है जब तक कि वह रोयेगा नहीं । जब तक ये लोग आर्गनाइज्ड अपने को नही करते तब तक इनकी बात ऊपर तक कैसे पहुंच सकती है । आज हमारे देहाती मजदूर पिछड़े पडे हुए हैं और उनको देखने वाला कोई नही है । उनकी जो युनियन बन रही हैं उनको सरकार को आर्गनाइज्ड करना चाहिये । जब शहरों मे मजदूर अपनी यूनियने बना सकते हैं तो गांव वाले भी बना सकते हैं ।

श्री ओइम प्रकाश त्यागी : ऐसा व्यवहारिक नही है क्योंकि चीन और रूस ने भी ऐसा नहीं किया है ।

श्री जगन्नाथ भारद्वाज : अगर वह नहीं कर सके तो हम अपने ढंग से कर सकते हैं क्योंकि हमारी हालत अलग है । हम लोग इतने गरीब होने के बावजूद भी, इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी हम लोग अपने को खींचते ही चले जा रहे है, हम डैमोक्रेसी की नाव को आगे बढ़ाते ही चले जा रहे है । मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम लोग इन हालत पर भी अभी तक मरे नहीं और जिन्दा है जो कि एक बहादुरी है ।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नही हमारी,
गो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा ।
यूनान व मिश्र व रोमां सब मिट गए जहां से,
बाकी मगर रहा नामोनिशां हमारा ।

हम इस माने में सोचते हैं । चाहे हम गरीब है, हमारे चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम सब दुखो को झेलते हुए आगे ही बढ़ते चले जाते है ।

मैंने सुना है और चर्चा हो रही है कि मजदूरों की यूनियन बन रही है । यह एक अच्छी बात है । सब लोग जो मजदूरों की मदद करना चाहते हैं वे उनकी यूनियन बनाएं । मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जहां खेतिहर मजदूरों की, रूरल लेबर की यूनियन बन जाएं वहां उनको रिकागनीशन दी जाय, जिले के लेवल पर उनको रिकागनाइज किया जाय ताकि जो उनकी आवाज दबी हुई है वह खुल जाय और अपना इलाज वे खुद करने लगें । डेमोक्रेसी के जमाने मे इतनी मदद कानून नहीं कर सकता जितनी इन्सान अपनी मदद खुद कर सकता है । इसलिए यह निहायत जरूरी है कि इन लोगों की मदद करनी हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनियन्स को रिकागनाइज करे ताकि एड-मिनिस्ट्रेशन में जो कमजोरियां हैं अथवा वीकनेसेज हैं उनको काउन्टर-बैलेन्स किया जा सके । जो सही माने में लेबर में कन्स्ट्रक्टिव काम करने वाली यूनियन हों उनको प्रापर

[श्री जगन्नाथ भारद्वाज]

रिकागनीशन दी जाय। इतना ही नहीं बल्कि उनको फंक्शन करने के लिए आफिस की सुविधा दी जाय। अभी मेरे भाई ने कहा वर्कर्स एजूकेशन के बारे में। इनको एजूकेशन देने के लिए सहायता दी जाय। इस तरह से काम किया जाय तब गरीब जनता जो देहातों में पड़ी है वह अपनी मदद आप करने के काबिल होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं लैंड रिफार्म्स एक्ट जो बने भी हैं उनको लागू करने में बड़ी मुश्किलात आ रही है और इसलिए मालिक और मुजाहिरे के झगड़े होते हैं। लैंड रिफार्म्स एक्ट मे यह होता है कि जब किसी को जगह जमीन मिलती है तो उसका कब्जा नही मिलता। इसका इलाज यह है कि ये पेचीदे मसले हैं और इनको हल करने के लिये कान्सीलिएशन बोर्ड बनाए जाय तहसील लेबर पर। इन मसलों को एग्रेवेट करते हैं। अगर कोई बात कोन्सीलिएशन से हल न हो सके तो उसका इलाज यह है कि वह आरबीट्रेशन में दे दी जाय ताकि ये बातें अदालतों मे न जायें और गरीब लोगों का लीगल प्रोफेशन वाले बिना वजह एक्सप्लोइटेशन न कर सकें।

लैंडलैस लेबर को रोजगार की जरूरत है। देहातो की समस्याएं तब हल होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं समझता हूं कि लेबर कोआपरेटिव्स आर्गेनाइज होनी चाहिए। लेबर कआपरेटिव कैसे आर्गेनाइज हो सकती है। गवर्नमेंट ने पहले एक स्कीम बनाई थी। वह कुछ देर चली पर अब यह मध्यम है और लावारिसी की वजह से यह स्कीम खत्म होती जा रही है। इस स्कीम को फिर वर्केबिल शेप में लाकर कायदे कानून बना कर जारी किया जाय ताकि जो करोड़ों रुपया कन्स्ट्रक्शन आदि पर खर्च होता है वह रुपया सही ढंग से खर्च हो और जो प्रोफिट मिडिलमेन ले जाते हैं वह डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कन्ट्रेक्ट सिस्टम के लिए यह कहा जाता है उसमें इकोनोमी होती है, कम्पटीशन आता है, लेकिन इस कम्पटीशन और इकोनोमी के नाम पर रुपया कार्नर बहुत होता है। इसलिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा आदमियों को रोजगार की शक्ल मे पैसा बांटने के लिए यह जरूरी है लेबर कन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायें, उनको वर्केबिल शेप दी जाय और डिटरमिन्ड तरीके से चलाया जाय। तब गरीब जनता का बहुत भला हो सकता है। कई चीजें और भी कहने को हैं, लेकिन मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय,--भूमिहीनो के सवाल पर चर्चा करने से पहले मैं कहना चाहता हूं--'चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच मे बाकी बचा न कोय।' श्रीमान् आज इस देश में क्या हो रहा है। गांधी जी बराबर कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। लेकिन उस आत्मा की क्या दुर्गति हो रही है यह हम बताना चाहेंगे इस सदन को आपकी आज्ञा से। जो भूमिहीन लोग हैं, किसान हैं, अर्द्ध किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं वे चक्की के दो पाटो के बीच में पिसे जाते हैं--एक तो इस देश में सरकार उनकी मालिक है और दूसरे उनके मालिक गांवो में रहते हैं, जो बड़े भूपति, जमींदार, ताल्लुकेदार, सेठ-साहूकार और तथाकथित ऊंची जाति के शक्तिशाली लोग हैं। चक्की के इन दो पाटों में वे पिसे जाते हैं। कैसे पिसे जाते हैं? जब वे उचित मजदूर मांगते हैं तो नतीजा क्या होता है? कि उन को चोरी के झूठे केस में कत्ल में फंसाया जाता है और फिर सरकारी मुलाजिम जो वहा रहते है--दरोगा, इंस्पेक्टर आदि, वह निहित स्वार्थ के लोग हैं और वे जो गांव के हरिजनों और भूमिहीनों पर अत्याचार करते हैं उन को संरक्षण देते हैं नतीजा यह होता है कि उन पर झूठे केस

चलाये जाते हैं और उन को सजा दिलायी जाती है। हरिजनों को कत्ल किया जाता है और थाना में उस की इत्तला भी दर्ज नहीं की जाती। ऐसी अनेको घटनायें हैं इस देश में और इस समाज में। दूसरी तरफ जब वे लोग उचित मजदूरी मांगते हैं. जब वे चाहते हैं कि उन के साथ लोग सम्मानित तरीके से व्यवहार करें तो उसके लिए उन पर डंडे बरसाये जाते हैं। आज भी ऐसे अनेकों गांव हैं जहां का हरिजन बड़े लोगों के सामने, ऊंची जात वालों के सामने खाट पर नही बैठ सकता, वह साहस नही कर पाता कि खाट पर बैठे। यह स्थिति आज अपने देश की है। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। जो पुराना शाहबाद जिला है उस में हरिजन लोग जब अपनी मजदूरी के लिये आंदोलन चला रहे थे तो गत वर्ष वहां बड़ी जाति के लोगों ने, एस०पी० से तथा दरोगा से मिलके साजिश कर के उस गाव को घेर लिया और घरों को जला दिया और घंटो तक कई चक्र गोलियां चलाते रहे जिससे अनेकों लोग मारे गये। अभी-अभी कुछ दिन पहले एक हरिजन और एक यादव को पकड़ कर सरे आम गोली मार दी गयी और कहा गया कि यह नक्सल-पंथी हैं। अच्छा बहाना इस देश में मिल गया है। किसी से बदला निकालना है, किसी को कत्ल करना है तो कह दो कि यह नक्सल-पंथी है। तो यह स्थिति आज देश मे है। 27 वर्ष की आजादी के बाद करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो खुले आकाश के नीचे रहते हैं चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। उन के लिये आज भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सर्दी तो योरप के देशों में पड़ती है और एशिया मे हिन्दुस्तान तो गर्म मुल्क है लेकिन यहां भी आदमी सर्दी से मरते हैं उस का कारण क्या है? उस का कारण यह है कि उन आदमियों के पेट में दाना नही रहता। उसके पेट में रोटी नहीं रहती। उसके शरीर में जाड़े को रोकने के लिए शक्ति नही रहती हैं। पोषण तत्व उसके शरीर में नहीं है, इसलिए वह सर्दी में मरता है और वही इंसान अधिक गर्मी में भी मरता है जिनको रहने के लिए मकान नही है। जो खाली पेट इसान होता है उसी को लू लगती है। आज तक हमने नहीं सुना कि कोई सेठ का बेटा या राजा महाराजा का लड़का सर्दी लगने से मर गया हो। तो यह स्थिति अपने देश की है।

सन् 1948 में भूमिहीनो एंव हरिजनो को आवास भूमि का पर्चा देने का कानून बना था। लेकिन हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आज भी बहुत से लोग हैं जिनको जमीन का पर्चा नही मिला है। अगर मिला है तो 3 डिसमल, दो डिसमल, ढाई डिसमल। इंसान तो इंसान है, वह जानवर नही है कि सिमट क रहे। अगर यह हुआ है तो किस कारण हुआ है। निहित स्वार्थ है, कर्मचारी होते हैं, सी० ओ० होते हैं वे सब मिलकर इस तरह के काम करते हैं। साढे 12 डिसमल तक देने की बात है लेकिन हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि इसक, जांच कराये कि वासिगित जमीन का पर्चा जिनको मिला है उनमें साढ़े 12 डिसमल कितने लोगो को मिला है और दो, ढाई डिसमल कितने लोगों को मिला है। इसके मूल में निहित स्वार्थ के लोग हैं। जातिवाद से यह देश इतना विकृत हो गया है कि मानवता का कोई ख्याल नही होता। देश को रसातल में ले जाने वाले ये कारनामे हो रहे हैं।

खेतिहार मजदूरों का जहां तक सवाल है उनको साल भर काम नहीं मिलता। मुश्किल से तीन चार महीने काम मिलता है बाकी दिनो में वह कैसे जीते हैं खुदा जाने। पीपल की टहनी होती है उसको इंसान उबालकर खाते हैं, कर्मी का साग खाकर रहते हैं। जो जानवर अनाज को पाखाने में निकाल देते हैं उनको धोकर बनाकर खाते हैं

[श्री सीताराम सिंह]

यह तो हमारे समाजवादी मुल्क और गरीबी हटाओ का नारा देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी के राज का हाल है ।

श्रीमन्, जहां तक देखिये यह भयकर स्थिति है आज इस देश की । मेरा तो विश्वास हिल गया है कि इस सरकार के जरिये जमीन का बंटवारा होगा और हर इंसान को जमीन मिलेगी । हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि इस देश के जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगो के साथ सरकार राहत, दान और दया पर निर्भर रहने की नीति चला रही है । यह नीति नहीं चलाई है कि इंसान जीवित रहे, इंसान की जो जरूरत की चीजें हैं, जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं वह महैय्या की जाएं और हर इंसान स्वावलम्बी हो । किसी पर कोई दया दिखाये ऐसा न हो । कोई किसी का कृपापात्र न रहे । ऐसी नीतियों परयह सरकार नहीं चलती । ऐसी नीति इस सरकार की नही है । जब तक ऐसी नीति नहा चलेगी तब तक इस देश का अपार जनसमुदाय जो आज दाने दाने के लिए मुहताज है, अगर उसका क्रोध भड़क गया तो यहां प्रलय हो कर रहेगा । इस देश में इसको कोई रोक नहीं सकता है । साथ ही तब तक खेतिहर मजदूरों को, भूमिहीनों को, छोटे किसानों को और तमाम लोगों की ओर ध्यान नहीं जाता है तो राष्ट्र कमजोर होगा ।

(Time bell rings.)

5PM

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): पांच बज गये हैं आप आधे मिनट में पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लीजिए ।

श्री सीताराम सिंह : मैं दो मिनट लूंगा ।

भूमि भूमिपतियों के हाथ हैं और पूंजी पूंजीपतियों के हाथ है और तीसरी तरफ ये करोड़ों गरीब मजदूर इस देश में हैं । जब तक इन तीनों का समन्वय नही होगा तब तक देश का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है । इस तरह से कोई सरकार चल नही सकती । जब तक लोगो को बराबरी के आधार पर, हिस्सेदारी के आधार पर नहीं लिया जाएगा तब तक इस देश में उत्पादन बढ़ने वाला नही है ।

आज हमारी कृषि की हालत क्या है ? पिछले 26-27 वर्षों की आजादी के बावजूद इस कृषि प्रधान देश में बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उद्योग प्रधान देश से हिन्दुस्तान ने 60 अरब का गल्ला मंगाया है, 21 अरब की रूई मंगाई है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि इस सरकार की बुनियादी नीति ही दोषपूर्ण है, वही गलत है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राजू) : बस समाप्त कीजिए । पांच बज गए हैं । एक मिनट के अन्दर बोल दीजिए ।

श्री सीताराम सिंह : मैं केवल दो मिनट लूंगा ।

मैं मांग करता हूं कि सरकार अगर चाहती है कि इन लोगों को राहत देना, इनकी जिन्दगी में तबदीली लाना तो एक बोर्ड का गठन करे । जो इस देश में मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं उनकी एक सैन्सस रिपोर्ट तैयार करे । उस रिपोर्ट के आधार पर उनकी संख्या कितनी है और उनको कितने साधन की जरूरत है इसके लिए एक कल्याणकारी योजना बना कर युद्ध स्तर पर उनके जीवन को सुधारा जाए । यह मेरा सुझाव है ।

दूसरी बात मैं यह कह । चाहता हूं इस सदन के जरिये देश क किसानों से, मजदूरों से कि अधिक र भीख मांगने से नहीं मिलते हैं, लड़ने से मिलते हैं, सघर्ष करने से मिलते हैं जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जीना है तो मरना सीखो। जब इंसान कुर्बानी देगा तब वह अपने अधिकार पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The debate will continue on the next non-official day for resolutions. The House stands adjourned till 11 O'clock on Monday.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 24th February, 1975.

GMGIPND—RSI—1913 RS—16-6-75—595